भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4379
19.07.2019 को उत्तर के लिए

औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरणीय मंजूरी

4379. श्री हसनैन मसूदीः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा जम्मू और कश्मीर में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत दी गई पर्यावरणीय मंजूरी वाली औद्योगिक इकाइयों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जम्मू और कश्मीर में चल रहे पर्यावरण प्रतिकूल उद्योगों (रैड कैटेगरी इंडस्ट्रीज) वाले उद्योगों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय का बीस से अधिक सीमेंट फैक्टरियों और चूना खदानों वाले ख्रू-खोनमो क्षेत्र के वायु-प्रदूषण स्तरों के संबंध में कोई अध्ययन करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस॰पी॰सी॰बी॰) को क्षेत्र में ऐसी आगे कोई फैक्टरी स्थापित करने की अनुमति नहीं देने की सलाह दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने ख्रू-पंपोर और खानमोश क्षेत्र, जहां बड़ी संख्या में सीमेट फैक्टरियां चालू हैं, में कृषि, बागवानी और केसर की खेती को पहुंची क्षति का कोई अध्ययन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओएफ एंड सीसी) और जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) के राज्य स्तरीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य में विभिन्न परियोजनाओं को 93 पर्यावरण स्वीकृतियां प्रदान की है। जिला-वार सूची अनुबंध-। में संलग्न की गई है।

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, जम्मू और कश्मीर राज्य में 304 पर्यावरण प्रतिकूल उद्योग (रैड कैटेगरी इंडस्ट्रीज) प्रचालित हो रही है। जिला-वार सूची अनुबंध-।। में दी गई है।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई अध्ययन विचाराधीन नहीं है। तथापि, जम्मू और कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण के स्तरों के निर्धारण के लिए ख्रू-खोनमो क्षेत्र की वहनीय क्षमता का अध्ययन शुरू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ख्रू-खोनमो क्षेत्र में स्थायी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन भी संस्थापित किया है।

(घ) ऐसी कोई परामर्शिका जारी नहीं की गई है।

(ड.) और (च) मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन करने के दौरान, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (यां) सुनिश्चित करती है कि आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षोपाय मौजूद हैं।

*****

अनुबंध-।

औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में श्री हसनैन मसूदी द्वारा दिनांक 19.07.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4379 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और एसईआईएए द्वारा प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृति का जिला-वार ब्यौरा</u>

क्रम सं.	जिला का नाम	एमओएफ एंड सीसी	एसईआईएए- जे एंड के	कुल
क जम्मू मंडल				
i.	डोडा	10	0	10
ii.	जम्मू	12	2	14
iii.	कठुआ	10	3	13
iv.	किश्तवाड़	1	0	1
v.	पूंछ	0	0	0
vi.	राजौरी	2	4	6
vii.	रामबन	1	0	1
iii.	रियासी	2	0	2
ix.	सांबा	2	1	3
x.	उधमपुर	6	1	7
ख श्रीनगर मंडल				
xi.	अनंतनाग	2	0	2
xii.	बांदीपुरा	0	0	0
iii.	बारामूला	0	0	0
xiv.	बडगाम	0	0	0
xv.	गांदरबल	0	0	0
xvi.	कुलगाम	0	0	0
vii.	कुपवाड़ा	0	0	0
iii.	पुलवामा	15	3	18
xix.	शोपियां	0	0	0
xx.	श्रीनगर	12	2	14
ग लद्दाख मंडल				
xxi.	कारगिल	0	0	0
xii.	लेह	1	1	2
	कुल	**76**	**17**	**93**

****

अनुबंध-।।

औद्योगिक इकाइयों को पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में श्री हसनैन मसूदी द्वारा दिनांक 19.07.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4379 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जम्मू और कश्मीर में जिला-वार पर्यावरण प्रतिकूल उद्योग (रैड कैटेगरी इंडस्ट्रीज)

क्रम सं.	जिला का नाम	रैड कैटेगरी इंडस्ट्रीज की सं.
क जम्मू मंडल		
i.	डोडा	0
ii.	जम्मू	45
iii.	कठुआ	50
iv.	किश्तवाड़	3
v.	पूंछ	0
vi.	राजौरी	0
vii.	रामबन	2
iii.	रियासी	3
ix.	सांबा	92
x.	उधमपुर	11
ख श्रीनगर मंडल		
xi.	अनंतनाग	7
xii.	बांदीपुरा	3
iii.	बारामूला	6
xiv.	बडगाम	5
xv.	गांदरबल	0
xvi.	कुलगाम	0
vii.	कुपवाड़ा	5
iii.	पुलवामा	47
xix.	शोपियां	1
xx.	श्रीनगर	19
ग लद्दाख मंडल		
xxi.	कारगिल	0
xii.	लेह	5
	कुल	**304**

****